

24.1.23

पत्रावली पैश हुई, वकील पार्सी उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन के बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा. पं. किये गये। अप्रार्थीगण को कितनी बार रुक रुक कर आवेजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील पार्सी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृष्ठक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
नांडल जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

नाम्यर व तारीख
अहकाम को
हुक्म की तारीख
में जारी

न अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

सख्या- 88/22 प्रा0पत्र

उभरसिंह स/सत्री मोहनसिंह गणपत निवासी- कैरिया तहसील- माण्डल (बंगरा)

-प्रार्थी

वनाम

गामुप्रताप सोनवेन्द्र सिंह राजपूत निवासी- कैरिया तहसील- माण्डल [बंगरा]
(संबंधित प्रा0पत्र संख्या)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक - 24-01-23


::आदेश::

प्राथमिक से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन
ग्राम.....कैरिया.....पटवार हत्का.....कैरिया.....तहसील माण्डल में उसके
खाते की आराजी नं० 1886-1887-1888-3004 कुल कित्ता 4 रकबा 2-3901
हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य उभरसिंह मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये
संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की
आदेश प्रदान कराये जावें।


ना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 11-04-22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी कराने का
। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते
की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर कैरिया.....पटवार
.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं० 1886-1887-1888-3004 1886
4 रकबा 2-3901 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी
तु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू-अभिलेख
माया को 300/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने
की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार
गद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगद्दी नहीं की जावें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाड़ा

तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार
जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाड़ा